रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102023-249529
CG-DL-E-18102023-249529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4390] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2023/आश्विन 25, 1945
No. 4390] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4564(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार, किसी व्यष्टि की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी विद्यार्थियों (पीएम वायएएसएएसवीआई) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) के लिए महाविद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए केन्द्रीय सेक्टर स्कीम का संचालन कर रहा है, इस स्कीम का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और अधिसूचना से निकाले गए जनजातीय प्रवर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को पूर्ण वित्तीय समर्थन प्रदान करके उनके मध्य क्वालिटी शिक्षा को मान्यता प्रदान करना और उसकी प्रोन्नति करना है । स्कीम में कक्षा 12 से आगे अध्ययन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/अधिसूचना से निकाले गए जनजातीय प्रवर्गों के विद्यार्थियों को समाविष्ट करती है, जिसे राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्यवित किया जाता है;

और, स्कीम के अधीन, स्कीम और उसके अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के विस्तार तक, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और अधिसूचना में से निकाले गए जनजातीय छात्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को छात्रवृत्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) दी जाती है;

और, स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत किया गया आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन से गुजरने की अपेक्षाहोगी।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति से, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, माता-पिता या अभिभावकों (बालक फायदाग्राही की दशा में) की सहमति के अधीन रहते हुए आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी, परंतु वह स्कीम के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे बालक, आधार के लिए नामांकित कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जाएं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षितहै जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु कि जब तक व्यष्टि को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक स्कीम के अधीन फायदा ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के अधीन हैं, अर्थात्:-

1. अठारह वर्ष से छोटे बालकों के लिए-

(क) (i) यदि फायदाग्राही को पांच वर्ष की आयु के पश्चात् (बायोमेट्रिक संग्रह के साथ) नामांकित किया गया था, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मैट्रिक अपडेट पहचान पर्ची, या;

(ii) फायदाग्राही द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) फायदाग्राही के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:

(i) समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण –पत्र या जन्म का अभिलेख; या

(ii) माता-पिता के नाम वाले स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र; और

(ग) स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विस्तार के अनुसार माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ फायदाग्राही के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:

(i) समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण –पत्र या जन्म का अभिलेख; या

(ii) राशन कार्ड, या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कार्ड; या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड, या

(v) सेना कैंटीन कार्ड; या

(vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या

(vii) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

II. अठारह वर्ष से बड़े फायदाग्राहियों के लिए-

(क) यदि वह नामांकित है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटोपास बुक; या

(viii) मोटरयान अधिनियम, 1988(1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लेटरहैड पर जारी किया गया ऐसे व्यक्ति का फोटो सहित पहचान प्रमाण-पत्र; या

(x) कोई अन्य दस्तावेज, जो विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकेगी ।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को आसानी से फायदा प्रदान करने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षितव्यवस्थाएं करेगा कि फायदाग्राहियों को आधार की स्कीम के अधीन अपेक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्:

(क) खराब उंगलियों के निशान गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, और विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से आईरिस स्कैनर या चेहरा अधिप्रमाणन के साथ-साथ उंगलियों के निशान अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा जिससे निर्बाध रूप से फायदा दिया जा सके।

(ख) उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे के अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, यथास्थिति, आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता के साथ अधिप्रमाणन, प्रस्तावित किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड अधिअधिप्रमाणन संभव नहीं है, स्कीम के अधीन भौतिक आधार पत्र के आधार पर फायदा दिया जा सकता है, जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. यहां ऊपर अन्तर्विष्ट की गई किसी भी बात के होते हुए, किसी भी बालक को स्कीम के अधीन फायदे से वंचित नहीं किया जाएगा, यदि वह अधिप्रमाणन करवाकर अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहता है, या आधार संख्या होने का सबूत प्रस्तुत करता है, या ऐसे बालक के मामले में, जिसे नामांकन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करते समय आधार संख्या नहीं की गई है उसे पैरा 1 के उप- पैरा (3) के परंतुक के खंड (ख) और (ग) में यथाउल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान का सत्यापन करके फायदा दिया जाएगा और जहां ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर फायदा दिया जाता है, वहां एक अलग रजिस्टर इसे अभिलिखित करने के लिए अनुरक्षित किया जाएगा, जिसका कालिक रूप से पुनर्विलोकन और संपरीक्षण मंत्रालय के अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से किया जाएगा।

5. यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि इस स्कीम के अधीन कोई वास्तविक फायदाग्राही (बालक से भिन्न) अपने सम्यक् फायदे से वंचित न हो जाए, विभाग अपने क्रियान्वयन के अभिकरण के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के सीधा फायदा अंतरण मिशन के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी, तारीख 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) यथा विनिर्दिष्ट अपवाद हथालन तंत्र का अनुसरण करेगा ।

6. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 14017/5/2023-डीबीटी]

राधिका चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2023

S.O. 4564(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Social Justice and Empowerment (*hereinafter referred to as the Department*) in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, is administering the Central Sector Scheme of Top Class Education in College for OBC, EBC and DNT Students (PM YASASVI) (*hereinafter referred to as the Scheme*) with an objective of the scheme is to recognize and promote quality education amongst students belonging OBC, EBC and Denotified Tribes Categories by providing full financial support. The scheme covers Other Backward Classes/Economically Backward Classes/Denotified Tribal students for pursuing studies beyond Class XIIth which is being implemented through National Scholarship Portal (hereinafter referred to as the implementing Agency)

And whereas, under the Scheme, Scholarship (*hereinafter referred to as the 'benefit*) is given to the Other Backward Classes, Economically Backward and Denotified Tribal Students (*hereinafter referred to as the beneficiaries*) by the implementing Agency as per the Scheme and extant guidelines issued thereunder ;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided he is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act, and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely :–

1. For children below eighteen years old

(a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or,

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary: and

(b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely:-

(i) Birth Certificate or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school containing parents name and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:-

(i) Birth Certificate or Record of birth issued by the appropriate authority or

(ii) Ration Card, or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Card, or Employees' State Insurance Corporation Card or Central Government Health Scheme Card; or

(iv) Pension Card, or

(v) Army Canteen Card, or

(vi) any Government Family Entitlement Card, or

(vii) any other document as specified by the Ministry

II. For beneficiaries above eighteen years old

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in sub clauses (b) and (c) of Clause (1) of the proviso of sub paragraph (3) of paragraph 1 and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry through the implementing Agency.

5. In order to ensure that no bona fide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

6. This notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F. No. 14017 /5/ 2023-DBT]

RADHIKA CHAKRAVARTHY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.10.18 16:45:22 +05'30'